

11.06
24

वकील वादी उपस्थित नहीं। वादीगण स्वयं भी
उपस्थित नहीं। हमारी अनुपस्थिति वास्तव कोई
कारण भी पेश नहीं हुआ। बार-बार आवाज
लगवाई गई। अतः वाद-का अदम पैरवी
अदम दायरी में खासज किया जाता है।

पत्रावली निर्णय में शुमार
की जाकर नम्बर से कम हो तथा तर्तीव
तकमिल होकर दायरिल दफतर हो।